न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)
पीठासीन अधिकारी :— श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 24/2022
प्रकरण दर्ज तिथि :— 04.05.2022
जीसीएमएस नम्बर :— 2022/129

1. गीता देवी पत्नि श्री खंगार सिंह, जाति रावत, उम्र—वयस्क,
2. खँगारसिंह पुत्र श्री मोहनसिंह, जाति रावत, उम्र—वयस्क, निवासी—कलालीया, तहसील रायपुर जिला पाली राज.

प्रार्थीगण

बनाम

1. छगनी देवी पत्नि श्री पनासिंह, जाति रावत, उम्र—वयस्क,
2. प्रेमकंवर पत्नि श्री पनासिंह, जाति रावत, उम्र—वयस्क,
3. गोपालसिंह पुत्र श्री पनासिंह, जाति रावत, उम्र—वयस्क, निवासी—पचानपुरा, तहसील रायपुर जिला पाली राज.
4. जमनीदेवी पत्नि श्री नोरतमल, जाति भांभी, उम्र—वयस्क, निवासी—नुन्दरीमालदेव ब्यावर जिला अजमेर राज.
5. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार रायपुर जिला पाली राज..

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 131 व 136 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थितः— 1 अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सैन प्रार्थी
2 अप्रार्थीगण अनुपस्थित

निर्णय दिनांक :— 10.08.2022

प्रार्थी की ओर से वकील श्री भूपैन्द्र सैन द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 आर.एल.आर. एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा ग्राम कलालीया, पटवार हल्का कलालीया भू. अभि. नि. क्षैत्र काणुजा, तहसील रायपुर जिला पाली के खाता सं. 82 खसरा सं. 3440/4 रक्बा 0.8096 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम खातेदारी भुमि आई हुई हे। उपरोक्त खातेदारी आराजी की वक्त चालु जमाबन्दी, वक्त आनलाईन राजस्व नक्शे की प्रति, एवं पुर्व राजस्व नक्शे कि प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे वाद पत्र का एक भाग समझा जावें । उक्त आराजी को आगे विवादित आराजी के नाम से पढा जायेगा। उक्त विवादित भुमि प्रार्थीगण की खातेदारी भुमि है जिस पर प्रार्थीगण लम्बे समय से काबिज होकर शांति पुर्वक काश्त कर रहे है। उक्त भुमि लट्टे नक्शे राजस्व नक्शे मे तरमीन हो रखी थी। एवं उक्त विवादित भुमि के पास में पश्चिम दिशा मे खसरा सं. 3440/2 अप्रार्थीगण सं. 4 की खातेदारी भुमि एवं खसरा सं. 3440/3 अप्रार्थीगण सं. 1 से लगायत 3 की खातेदारी भुमि तरमीन हो रखे है एवं तरमीन अनुसार खातेदार का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त खसरा सं. 443/28 की वक्त सेकरीक्रेशन व राजस्व नक्शे आनलाईन करते समय मौके पर प्रार्थीगण के कब्जे वाले भुमि की तरमीन पुर्व पुराने नक्शे के अनुसार नहीं करते हुए तरमीन

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

भुलवश गलत स्थान पर कर दी जिससे प्रार्थीगण को बहुत परेशानी हो रही है एवं भाविष्य मे विवाद बढने की पुर्ण सम्भावना है। इसलिए उक्त विवाद का आगे नही बढाने एवं मौके पर शांति कायम रखने हेतु उक्त राजस्व नक्शे कि तरमीन को सुधारा जाना न्यायहित मे अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने की आवश्यकता हुई है। हल्का पटवारी ने वक्त सेकरीक्रेशन व राजस्व नक्शे आनलाईन करने डी आर एल एम पी के तहत हल्का पटवारी ने उक्त भुमि कि तरमीन बिना मौके पर गये बिना मौके देखे बिना डी आर एल एम पी मे राजस्व नक्शे आनलाईन करने मे जल्दबाजी करते हुए बिना किसी खातेदार के बयान लेकर बिना किसी प्रकार का मौका देखें अपनी मन मर्जी से गलत स्थान पर तरमीन कर दी है जिससे प्रार्थीगण को भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। अगर तरमीन गलत जगह रहती है तो प्रार्थीगण को भारी आर्थीक मानसिक नुकसान होगा जिसकी भरपाई किसी भी सुरत मे पुरी नहीं कि जा सकती है। मौके एवं रेकर्ड मे फर्क होने से प्रार्थीगण का ऋण लेने मे अन्य सरकारी लाभ लेने मे भारी समस्या का सामना करना पड रहा। प्रार्थीगण एवं अप्राथीगण के मध्य मौके पर विवाद होने पर हल्का पटवारी से राजस्व नक्शा निकलवाने पर यह ज्ञात हुआ खसरा सं. 3440/4, 3440/2 एवं 3440/3 की राजस्व नक्शे मे नियत स्थान पर नही करते हुए तरमीन गलत स्थान पर की गई तब प्रार्थीगण को उक्त तथ्य की जानकारी हुई उक्त गलत तरमीन की जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी से निवेदन किया कि खसरा सं. 3440/4, 3440/2 एवं 3440/3 की राजस्व नक्शे मे तरमीन को सुधारा जावें हल्का पटवारी ने बताया पुराना नक्शा देखकर बताया की खसरा सं. 3440/4, 3440/2 एवं 3440/3 की आनलाईन तरमीन करते समय गलत हो गयी आप इसे राजस्व न्यायलय से तरमीन शुद्वी करवाकर लावे। तभी ही राजस्व नक्शे मे तरमीन शुद्व की जायेगी। तब प्रार्थीगण को राजस्व नक्शे मे तरमीन गलत होने की जानकारी प्राप्त हुई जिस कारण उक्त तरमीन संसोधन के प्रार्थना पत्र कि आवश्यकता उत्पन्न हुई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधिक बिन्दु पर है इसलिए उस पर म्याद कानुन लागु नही होता है। प्रार्थीगण अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज है प्रार्थीगण अपने हक हिस्से की जमीन का उपभोग उपयोग बिना किसी रोक–टोक के करते आ रहे है, प्रार्थीगण की भुमि खसरा सं. 3440/4 की जगह अप्रार्थीगण के खसरा सं. 3440/2, 3440/3 गलत तरमीन रह जाती है तो प्रार्थीगण को असीम क्षति व भारी नुक्शान होगा, मौके पर विवाद स्थिति बनी हुई है अप्रार्थीगण गलत तरमीन का फायदा उठा कर प्रार्थीगण को बिना मतलब परेशान कर रहे है लडाई कर रहै विवाद बढा रहै अगर विवाद बढता है तो प्रार्थीगण को भारी नुकसान होने की पुर्ण सम्भावना है जिसकी क्षति पुर्ति किसी तरह सम्भवं नही होगी, तथा प्रार्थीगण अपने हितों व अधिकारों की सुरक्षा के लिये यह प्रार्थना पत्र मौका कब्जा की जाचॅ कर मौके पर कब्जे अनुसार एवं पुर्व कपडे वाले राजस्व नक्शे अनुसार राजस्व नक्शे में संसोधन करवाने हेतु माननीय न्यायलय में पेश कर रहा है।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम कलालीया पटवार हल्का कलालीया के खसरा सं. 3440/4, 3440/2 एवं 3440/3 की पुर्व राजस्व नक्शे अनुसार एवं मौके अनुसार वर्तमान आनलाईन राजस्व नक्शे मे तरमीन सही नही होने से विवाद कि स्थिति बनी हुई है इसलिए विवादित भुमि एवं खसरा सं. 3440/4, 3440/2 एवं 3440/3 की मौका कब्जा की जाचॅ कर मौके पर कब्जे अनुसार एवं पुर्व कपडे वाले राजस्व नक्शे अनुसार राजस्व नक्शे मे संसोधन तरमीन किया जाने का आदेश प्रदान करावें जिससे प्रार्थीगण को भाविष्य मे हाने वाली भारी समस्या से बचा जा सके। एवं प्रार्थीगण को न्याय मिल सके।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के नोटिस तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया हैं कि ग्राम कलालीया पटवार हल्का कलालीया के खसरा सं. 3440/4, 3440/2 एवं 3440/3 पुर्व कपडे वाले राजस्व नक्शे अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे मे संसोधन तरमीन किया जाने निवेदन किया हैं।

बहस सुनी गई, बहस के दौरान दिये गये तर्को पर गहनता पूर्वक मनन किया तथा पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का अवलोकन के पश्चात् कि ग्राम कलालीया पटवार हल्का कलालीया के खसरा सं. 3440/4, 3440/2 एवं 3440/3 में पूर्व कपड़े वाले राजस्व नक्शे अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे मे तरमीन संशोधित किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार कर सरहद ग्राम कलालीया पटवार हल्का कलालीया के खसरा सं. 3440/4, 3440/2 एवं 3440/3 में पूर्व कपड़े वाले राजस्व नक्शे अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे मे तरमीन संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रायपुर को पालनार्थ हेतु आदेश, तहरीर के साथ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 10.08.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

उपखण्ड अधिकारी ... रायपुर (पाली)